प्रीलिम्स फैक्ट्स: 03 अगस्त, 2018

साथी पहल

- वस्त्र एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावरलूम सेक्टर में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागत में बचत करने हेतु साथी पहल (SAATHI-Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help Small Industries) के संदर्भ में संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया है।
- ईईएसएल (Energy Efficiency Services Limited - EESL), विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो कि पुराने अक्षम विद्युत मोटरों को नए ऊर्जा कुशलता वाले विद्युत् मोटरों से प्रतिस्थापित करेगी। इससे योजना के पहले चरण में ऊर्जा लागत के रूप में कम-से-कम 10-15% तक की बचत होने की उम्मीद है।

डल झील का संरक्षण

- हाल ही में किये गए एक आकलन के मुताबिक, डल झील का आकार 22 वर्ग किलोमीटर के अपने मूल क्षेत्र की तुलना में लगभग 10 वर्ग किमी तक सिमट गया है।
- अनुपचारित सीवेज और झील में बहने वाले ठोस अपशिष्टों के कारण झील में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण इसकी जल गुणवत्ता काफी खराब हो गई है।
- कई जगहों पर झील की गहराई में भी कमी आई है और इसकी कुल जल धारण क्षमता 40% तक कम हो गई है।
- डल झील पर चलने वाले हाउसबोट के कारण भी इसके जल की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं।

डल झील

- डल झील को 'श्रीनगर का गहना' या 'कश्मीर का मुकुट' भी कहा जाता है। डल झील श्रीनगर, कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है।
- 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील तीन दिशाओं से शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू-कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
- जम्मू-कश्मीर में ही स्थित वूलर झील, जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत की भी सबसे बड़ी झील है। इसके चार प्रमुख जलाशय हैं गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल तथा नागिन।

एप्पल : ऐतिहासिक $ 1 ट्रिलियन के मार्केट कैप पर

- ऐप्पल इंक $ 1 ट्रिलियन पूंजी के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध यू.एस. की पहली कंपनी बन गया है, अपने लोकप्रिय आईफोन के माध्यम से एप्पल इंक ने यह उपलब्धि हासिल है।
- बाजार पूंजीकरण अर्थात् मार्केट कैप (Market capitalization - Market Cap) वर्तमान शेयर मूल्य और बकाया स्टॉक की कुल संख्या के आधार पर किया गया किसी कंपनी का सकल मूल्यांकन होता है।
- इसकी गणना कंपनी के कुल बकाया शेयरों के साथ कंपनी के शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य की गुणा करके की जाती है।

मध्यस्थता प्रकोष्ठ

केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआर) 2005 में प्रदत्त अधिकारों के आधार पर एनसीपीसीआर को एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ गठन करने का निर्देश दिया है। विवाह विवाद में एक पक्ष दूसरे पक्ष को बिना बताए बच्चे को लेकर चले जाते हैं या भारत में विदेश से घरेलू हिंसा होती है या भारत से विदेश में घरेलू हिंसा की जाती है-ऐसे मामलों के समाधान के लिये मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ बच्चे के सर्वोच्च हितों का ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी और अभिभावक योजना तैयार करेगी।

एनसीपीसीआर में मध्यस्थता प्रकोष्ठ की संरचना निम्न होगी-

1. एनसीपीसीआर के चेयरमैन - चेयरमैन
2. एनसीपीसीआर सदस्य (बच्चों के अधिकार) – सदस्य
3. एनसीपीसीआर सदस्य (बच्चों का मनोविज्ञान – समाजशास्त्र) – सदस्य

- इन मामलों से संबंधित सभी विवादों पर महिला व बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत नोडल एजेंसी (आईएनए) विचार करेगी, जिसका गठन 20 दिसंबर 2017 को किया गया था।
- महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अभिभावक या माता-पिता एकीकृत नोडल एजेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बच्चे या बच्चे के संरक्षक को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आईएनए का गठन एनआरआई विवादों का समाधान करने के लिये किया गया है। इस प्रकार आईएनए की कार्यसीमा में विस्तार हुआ है।
- मध्यस्थता प्रकोष्ठ बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक योजना बनाएगा और अपनी रिपोर्ट आईएनए को सौंपेगा। आईएनए आदेश जारी करेगा। आईएनए के आदेश को न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
- इस प्रक्रिया का उद्देश्य स्थिति का संपूर्ण आंकलन करना है और बच्चे के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक योजना तैयार करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-03-08-2018